

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक 12.03.2022

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा)

निर्णय

उनवान

औमप्रकाश आदि बनाम गोपीराम आदि

दावा बाबत :- 212 आरटीए

मुकदमा नम्बर :-2/22 (2022/9)

निर्णय दिनांक :-.....12/03/22.....

प्रार्थीगण की ओर से वकील किशनलाल यादव अप्रार्थीगण की ओर से सतवीर पूनियां वकील की उपस्थिति में इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आटीए में आज तारीख 12.03.2022 को निधि पूनियां अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत एवं शकुन्तला चौधरी सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण के नाम चक 5 एमएसआर के खाता सं. 88/80 मु.नं. 35 के किला नं. 11/2 में 0.0126 हैक्टर , किला नं. 12 में 0.0126 हैक्टर, किला नं. 13 में 0.0126 हैक्टर उत्तरी दिशा में स्वीकृत किया जाता है।

यह निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.03.2022 को न्यायालय में सरे ईजलास सुनाया गया।

(शंकुतला चौधरी R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी

भादरा